***माननीय बी. सी. वर्मा और वी. के. झांजी, जे. जे.*के समक्ष**

**श्रीमती. कृष्णा ग्रोवर और अन्य,-याचिकाकर्ता,**

**बनाम**

**हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।**

**1991 की सिविल रिट याचिका संख्या**

**18691**

**27 मार्च 1992.**

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226-सहायक नर्स दाइयों को बहुउद्देशीय योजना के तहत छह महीने का प्रमोशनल प्रशिक्षण दिया गया-लेडी हेल्थ विजिटर एएनएम के लिए एक पदोन्नति पद - प्रशिक्षण के बाद, एएनएम को उनके स्वयं के वेतनमान में लेडी हेल्थ विजिटर के पदों पर समायोजित और तैनात किया जाता है - *ऐसी दाइयों को 8 साल तक उच्च पद पर काम करना जारी रखना इस पद पर पर्याप्त रूप से नियुक्त नहीं माना जा सकता है-उन्हें उच्च पद के खिलाफ समायोजित करने के आदेश को पदोन्नति आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता है-विराम-अंतराल व्यवस्था पद का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है-उन्हें ए. एस. ए. एन. एम. वापस भेजने का आदेश एक प्रत्यावर्तन आदेश नहीं है-पदोन्नति नियम के अनुसार होनी चाहिए-हालाँकि, उच्च पद पर काम करने के लिए वेतन के अंतर के दावे को बरकरार रखा गया है और याचिका दायर करने से पहले तीन साल और दो महीने का बकाया देने का निर्देश दिया गया है।*

*जहां तक उन पदों के वेतन देने की बात है जिन पर याचिकाकर्ता आदेश पारित होने तक काम कर रहे थे, अनुबंध पी. 3, इस न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 12846, 1991 (श्याम सुंदर शर्मा बनाम हरियाणा राज्य) ,फैसला 12 दिसंबर, 1991 को और सिविल रिट याचिका संख्या 12344, 1991*

*(देहा शर्मा बनाम हरियाणा राज्य) , फैसला 20 सितंबर, 1991 में समान परिस्थितियों में इसकी अनुमति दी गई है। इन दोनों मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि समान रूप से स्थित व्यक्तियों को महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के पदों के वेतनमान का भुगतान किया जाए और उन रिट याचिकाओं को दायर करने से पहले तीन साल और दो महीने के वेतन के बकाया का भुगतान किया जाए। जहां तक मामले के इस पहलू का संबंध है, उपरोक्त दो रिट याचिकाओं में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किए जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।*

(पैरा 5)

*यह अभिनिर्धारित किया गया कि आदेश इंगित करता है कि सहायक नर्स दाइयाँ जिन्होंने बहुउद्देशीय योजना के तहत प्रचार प्रशिक्षण प्राप्त किया था, वे थीं-(i) समायोजितः (ii) महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के पदों पर तैनातः और (iii) अपने स्वयं के वेतनमान में। इस प्रकार आदेश का स्पष्ट रूप से उन सहायक नर्सों को बढ़ावा देने का इरादा नहीं है। दाइयाँ जिन्हें महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के रूप में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, उन्हें केवल समायोजित किया गया था। इसका मतलब केवल यह है कि यह एक विराम-अंतराल व्यवस्था थी क्योंकि संभवतः जिन पदों से उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, उन पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा था।अपने विवेक में, विभाग ने सहायक नर्स दाइयों के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों को बाहर करना उचित नहीं समझा। उन्हें और याचिकाकर्ताओं को समायोजित करने के लिए, याचिकाकर्ताओं को एक महिला स्वास्थ्य आगंतुक के रूप में काम करने (समायोजित) के लिए कहा गया था। वास्तव में यह तथ्य कि यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उन्हें अपने स्वयं के वेतनमान में वेतन प्राप्त करना था, इस तथ्य का एक मजबूत संकेतक था कि उन्हें कभी भी उच्च वेतनमान में उच्च पदों पर पदोन्नत करने का इरादा नहीं था। उन्हें फिलहाल केवल महिला स्वास्थ्य आगंतुक के पदों के कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता थी। यह सच है कि उन्हें काफी लंबे समय तक काम*

*करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें उन पदों पर पदोन्नत किया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि समान योग्यता के साथ महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के रूप में काम करने वाले और प्रचार प्रशिक्षण पूरा करने वाले और सहायक नर्सों की दाइयों के रूप में याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ व्यक्तियों को अभी भी महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया है।*

(पैरा 6)

तथ्य यह है कि हम स्पष्ट हैं कि आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक पी. 1 द्वारा, केवल एक विराम-अंतराल व्यवस्था की गई थी। उस आदेश द्वारा शासित लोग अपने स्वयं के वेतनमान में सहायक नर्स दाइयों के पदों पर बने रहे। उन्हें कभी भी महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया। नतीजतन, हम इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि अनुलग्नक पी. 1 के बल पर याचिकाकर्ताओं को महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के रूप में पदोन्नत या नियुक्त किया गया था और इसलिए, आदेश , अनुलग्नक पी. 3  द्वारा सहायक नर्स दाइयों के अपने मूल पदों का प्रभार फिर से शुरू करने के लिए नहीं कहा जा सकता था।

**(पैरा 7)**

*अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ताओं को निश्चित रूप से ऐसी पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए, लेकिन फिर वह केवल मौजूदा नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए।*

**(पैरा 8)**

*भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका में अनुरोध किया गया है किः -*

i. *याचिकाकर्ताओं को महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के पद से सहायक नर्स मिडवाइफ के पद पर* वापस *करने वाले आक्षेपित आदेश संलग्नक पी/3 को रद्द करते हुए उन्होंने सरशियोरेराई की प्रकृति में एक रिट जारी की।*

ii. *प्रतिवादी को याचिकाकर्ताओं की* सेवाओं *को नियमित करने/पुष्टि करने का परमादेश देते हुए एक रिट जारी करें।*

iii. *प्रतिवादी को* याचिकाकर्ताओं द्वारा *काम की गई अवधि के लिए महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के वेतनमान का भुगतान करने का निर्देश देते हुए परमादेश की एक रिट भी जारी की जा सकती है।*

iv. *अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने के साथ-साथ प्रतिवादी को अग्रिम सूचनाओं की सेवा प्रदान की जानी चाहिए।*

(v) याचिका *की 8* प्रतिशत *की* लागत *भी* दी *जाती है।*

*यह* भी *प्रार्थना की जाती है कि आक्षेपित आदेश संलग्नक पी/3 के संचालन पर अंतरिम रोक* लगाई जाए।

एस. के. मित्तलअधिवक्ता- याचिकाकर्ताओं के लिए

अरुण नेहरा, एडिशनल ए. *जी., हरियाणा* -प्रतिवादीओं के लिए

निर्णय

(1) यह निर्णय 1991 ***की*** सिविल रिट याचिका संख्या 17096, 18540, 18601, 18674, 18688, 18717, 18735, 18819, 18836 और 1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 292, 349, 3085, 3440, 658, 740 का भी निपटान करेगा क्यूंकि इन रिट याचिकाओं में सामान्य प्रश्नों के रूप में कानून और तथ्य शामिल हैं।

(2) इन सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के पास सहायक नर्स मिडवाइफ या ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर्स के पद हैं। उन सभी को प्रचार प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। बदले में, उन्होंने 20, 000 रुपये की राशि में एक बांड निष्पादित किया। प्रशिक्षण के बाद दो साल की अवधि के लिए राज्य सरकार की सेवा करने के लिए सहमत हुए। उन सभी ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया। इसके बाद, उन्हें उन पदों का प्रभारी बनाने के बजाय, जहाँ

से उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, उन्हें महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के रूप में काम करना पड़ा । चूँकि इन रिट याचिकाओं में विवाद उस आदेश की शर्तों के इर्द-गिर्द केंद्रित है, इसलिए इसे प्रस्तुत करना उपयोगी होगाः

"निम्नलिखित सहायक नर्स दाइयाँ जिन्होंने बहुउद्देशीय योजना के तहत छह महीने का प्रचार प्रशिक्षण लिया था, उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने स्वयं के वेतनमान में महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के पद पर समायोजित और तैनात किया जाता है।

| श्री. नहीं। | नाम | से | को। | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|
| ** | *** | *** | ** | ** |
| ** | *_* | *** | ** | ** |
| | | | | |

(3) सहायक नर्सों की दाइयों के पदों पर रुपये 950-1,600 का वेतनमान है । महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को रुपये

1, 400-2,600 के उच्च पैमाने पर रखा जाता है। सहायक नर्स दाइयाँ उच्च वेतन वाली महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के रूप में पदोन्नत होने की हकदार हैं।याचिकाकर्ताओं,-संलग्नक पी. 1 के अनुसार, उनके प्रचार प्रशिक्षण के पूरा होने पर महिला स्वास्थ्य आगंतुकों/बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों (महिला) के पद *पर* "समायोजित" किया गया था; और लगभग आठ वर्षों की काफी अवधि के लिए इस रूप में कार्य किया है, अब उन्हें आदेश, संलग्नक पी. 3 जो दिनांक 6 दिसंबर, 1991 का है, के रूप में सहायक नर्स दाइयों के रूप में उनके वर्तमान पदों पर काम करने के लिए कहा गया है जो आदेश, संलग्नक पी. 1 को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहता है।याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि आदेश अनुलग्नक पी.1 का प्रभाव उन्हें महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के रूप में पदोन्नत करना है। उन्हें कई वर्षों तक इस तरह काम करने की अनुमति दी गई, उन्हें अन्यायपूर्ण और अवैध रूप से पद के वेतनमान से वंचित कर दिया गया

जिस *पर* वे काम कर रहे थे ।और याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि अनुलग्नक पी. 3 के तहत राज्य सरकार की कार्रवाई, जो आदेश, अनुलग्नक पी. 1 को वापस लेने का तात्पर्य करती है, पूरी तरह से मनमाना है और चूंकि वे उस उच्च पद पर पदोन्नत होने के पात्र हैं, जिस *पर* उनसे कई वर्षों तक काम करवाया गया । उन्हें इस प्रकार कार्य करना जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें उन पदों पर मूल रूप से नियुक्त माना जाना चाहिए। इसके अलावा, उनका यह भी दावा है कि जिस अवधि के लिए उन्होंने उन उच्च पदों पर काम किया है, उन पदों का वेतन उन्हें देने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

(4) रिट याचिकाओं का विरोध करते हुए, प्रतिवादी राज्य एक याचिका के साथ आगे आया है कि मौजूदा नियमों के तहत महिला स्वास्थ्य आगंतुकों/बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों (महिला) के पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है।ये नियम 1984 से लागू हुए हैं।यह भी तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को कभी भी महिला स्वास्थ्य आगंतुकों/बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त/पदोन्नत नहीं किया गया था। उन्हें महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के रूप में अपने स्वयं के वेतनमान में उन पदों *पर* समायोजित किया गया था, क्योंकि उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया था।आदेश का प्रभाव, अनुलग्नक पी, 3 उन्हें पदावनति करना नहीं है। अनुलग्नक पी. 3 द्वारा, आदेश, अनुलग्नक पी. 1, को केवल वापस ले लिया गया है, जिसका परिणाम यह है कि याचिकाकर्ता उन उच्च पदों पर कार्यभार संभालना बंद कर देंगे।इस अदालत में दायर हलफनामे में, सुनवाई के समापन के बाद, प्रतिवादियों ने कहा है कि जिन दाइयों ने बाद में प्रचार प्रशिक्षण लिया है और जो याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ हैं, उन्हें अभी भी महिला स्वास्थ्य आगंतुकों/बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों (महिला) के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया है । पदोन्नति केवल बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला) के पदों पर की जा सकती है और याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ व्यक्ति अभी भी इस तरह की पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए, प्रतिवादी के अनुसार, याचिकाकर्ता किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं।

(5) जहाँ तक उन पदों को नहीं देने की बात है जिनके खिलाफ याचिकाकर्ता आदेश पारित होने तक काम कर रहे थे।संलग्नक पी. 3, का संबंध है, इसे इस न्यायालय द्वारा 1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 12846 (श्याम सुंदर शर्मा बनाम हरियाणा राज्य), जिसका निर्णय 12 दिसंबर, 1991 को *किया गया था,* और *1991* की *सिविल* रिट याचिका संख्या 12344 (देह शर्मा बनाम हरियाणा राज्य), जिसका निर्णय 20 सितंबर, *1991 को* किया *गया था, में इसी* तरह की परिस्थितियों में अनुमति दी गई है। इन दोनों मामलों में इस न्यायालय को निर्देश जारी किया गया है कि समान रूप से स्थित व्यक्तियों को महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के पदों के वेतनमान का भुगतान किया जाए और उन रिट याचिकाओं को दायर करने से पहले तीन साल और दो महीने के वेतन के बकाया का भुगतान किया जाए। जहां तक मामले के इस पहलू का संबंध है, उपरोक्त दो रिट याचिकाओं में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

(6) इस मामले में उच्च पदों के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की निरंतरता और उनके खिलाफ उनके नियमितीकरण के बारे में उत्पन्न होने वाला दूसरा प्रश्न आदेश अनुलग्नक पी 1, के निर्माण पर निर्भर करता है, जिसका पाठ हमने ऊपर उद्धृत किया है। *आदेश इंगित करता है कि सहायक नर्स दाइयाँ जिन्होंने बहुउद्देशीय योजना के तहत प्रचार प्रशिक्षण प्राप्त किया था, वे थीं-(i) समायोजितः (ii) महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के पदों पर तैनातः और (iii) अपने स्वयं के वेतनमान में। इस प्रकार आदेश का स्पष्ट रूप से उन सहायक नर्सों को बढ़ावा देने का इरादा नहीं है। दाइयाँ जिन्हें महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के रूप में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, उन्हें केवल समायोजित किया गया था। इसका मतलब केवल यह है कि यह एक विराम-अंतराल व्यवस्था थी क्योंकि संभवतः जिन पदों से उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, उन पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा था।अपने विवेक में, विभाग ने सहायक नर्स दाइयों के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों को बाहर करना उचित नहीं समझा। उन्हें और याचिकाकर्ताओं*

*को समायोजित करने के लिए, याचिकाकर्ताओं को एक महिला स्वास्थ्य आगंतुक के रूप में काम करने (समायोजित) के लिए कहा गया था। वास्तव में यह तथ्य कि यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उन्हें अपने स्वयं के वेतनमान में वेतन प्राप्त करना था, इस तथ्य का एक मजबूत संकेतक था कि उन्हें कभी भी उच्च वेतनमान में उच्च पदों पर पदोन्नत करने का इरादा नहीं था। उन्हें फिलहाल केवल महिला स्वास्थ्य आगंतुक के पदों के कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता थी। यह सच है कि उन्हें काफी लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें उन पदों पर पदोन्नत किया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि समान योग्यता के साथ महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के रूप में काम करने वाले और प्रचार प्रशिक्षण पूरा करने वाले और सहायक नर्सों की दाइयों के रूप में याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ व्यक्तियों को अभी भी महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया है।*

(7) हम रमाकांत श्रीपद सिनाई एड्वोलपालकर बनाम भारत संघ (1) मामले में उच्चतम *न्यायालय के निर्णय का* उपयोगी *उल्लेख कर सकते* हैं।उस मामले में, निम्नलिखित शर्तों में कार्यालय आदेश विचार के लिए आया, -

> "कैक्सिया इकोनॉमिका डी गोवा के कार्यवाहक तीसरी कक्षा के अधिकारी श्री रमाकांत श्रीपदा सिनाई एड्वोलपालकर कैक्सिया इकोनॉमिका डी गोवा के खजांची के रूप में कार्य करेंगे, जबकि श्री एंटोनियो जेवियर फुर्तादो का आज सुबह निधन हो गया।श्री अधिवक्ता पालकर को आज से पदभार ग्रहण करना चाहिए।
>
> श्री एड्वोलपालकर कार्यवाहक तृतीय श्रेणी, अधिकारी और सहायक के रूप में अपने पद के मासिक वेतन के अलावा 100 रुपये का भत्ता भी प्राप्त करेंगे, जो वर्तमान नियमों के अनुसार देय है।

(1) ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 1145। '' '

यह प्रश्न था कि क्या श्री रमाकांत श्रीपाद सिनाई एडवोलपालकर को कोषाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था। यह माना गया कि ऐसी व्यवस्था पदोन्नति के समान नहीं है। इस संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की: -

> "किसी ऐसे अधिकारी से, जो मूल रूप से निचले पद पर है, केवल उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहना पदोन्नति नहीं माना जा सकता है।लेकिन केवल वही मिलता है जिसे सेवा की भाषा में "शुल्क भत्ता" कहा जाता है। ऐसी स्थिति पर तब विचार किया जाता है जब लोक सेवा की आवश्यकताओं के कारण ऐसी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है और यहां तक कि वरिष्ठता पर विचार भी इसमें शामिल नहीं होता है।व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण निचले पद पर बना रहता है और केवल उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन अनिवार्य रूप से एक विराम-अंतराल व्यवस्था के रूप में करता है।"

ये अवलोकन उस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं जो हमने आदेश के बारे में लिया है। हम स्पष्ट हैं कि कि आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक पी. 1 द्वारा, केवल एक विराम-अंतराल व्यवस्था की गई थी। उस आदेश द्वारा शासित लोग अपने स्वयं के वेतनमान में सहायक नर्स दाइयों के पदों पर बने रहे। उन्हें कभी भी महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया। नतीजतन, हम इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि अनुलग्नक पी. 1 के बल पर याचिकाकर्ताओं को महिला स्वास्थ्य आगंतुकों के रूप में पदोन्नत या नियुक्त किया गया था और इसलिए, आदेश , अनुलग्नक पी. 3 द्वारा सहायक नर्स दाइयों के अपने मूल पदों का प्रभार फिर से शुरू करने के लिए नहीं कहा जा सकता था।

**(8)** याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों (महिला) के उच्च पद पर पदोन्नति के लिए या यहां तक कि महिला स्वास्थ्य आगंतुकों **के** रूप में पदोन्नति के लिए उन तारीखों पर विचार किया जा सकता है जब *उन्हें* कार्य करने के लिए कहा गया था -संलग्नक पी. 1के माध्यम

से।.इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।याचिकाकर्ताओं को निश्चित रूप से इस तरह की पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए, लेकिन फिर वह केवल मौजूदा नियमों के **अनुसार ही** किया जाना चाहिए।प्रतिवादी के वकील ने बार में कहा कि पदोन्नति वरिष्ठता के अनुसार की जा रही है और जब भी याचिकाकर्ता अपनी बारी में देय होंगे, उन्हें पदोन्नति के लिए माना जाएगा और यदि वे योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें पदोन्नत किया जाएगा।परिणाम यह है कि रिट याचिकाएं काफी हद तक खारिज हो जाती हैं। तथापि, हमारा मानना है कि याचिकाकर्ताओं को उनकी नियुक्ति की तारीख से लेडी हेल्थ विजिटर/ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर्स के वेतन के नियमित पैमाने के साथ-साथ उस पद पर सेवा की अवधि के दौरान उस पैमाने में सभी वृद्धि के साथ भुगतान किए जाने का अधिकार है। हम आगे यह निर्देश देते हैं कि रिट याचिका दायर करने से पहले पिछले तीन वर्षों और दो महीनों के लिए गणना की गई वेतन की बकाया राशि का भुगतान याचिकाकर्ताओं को किया जाएगा। यह चार महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो देय राशि पर भुगतान तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा। कोई खर्च नहीं।

***आर. एन. आर.***

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रशमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम, हरियाणा